भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 882

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2025

ऋणों का भुगतान

882 **श्री हरीभाई पटेल:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के अंतर्गत व्यवसाय में लगे व्यक्तियों से बकाया राशि के भुगतान के लिए 45 दिनों से अधिक समय देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार बकाया राशि के भुगतान के लिए 45 दिनों से अधिक समय देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : एमएसएमई संघों सहित अनेक हितधारक, जो विलंबित भुगतान, नकदी प्रवाह तथा वित्तीय बाधाओं के कारण व्यवसाय बंद होने के जोखिम से जूझ रहे थे, उन्होंने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु शुरू किए गए इंटरवेंशन का समर्थन किया है, क्योंकि इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लाभ प्राप्त होगा।

एमएसएमई मंत्रालय ने इस मुद्दे पर हितधारकों के साथ परामर्श किया। जबकि, अधिकांश हितधारकों ने इस पहल की सराहना की है, लेकिन जिन हितधारकों का भुगतान चक्र 45 दिनों से अधिक लंबा है, उन्होंने संशोधन के कार्यान्वयन हेतु समय-सीमा बढ़ाने पर विचार करने की माँग की है।

*****